न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 29/2017
(आरसीएमएस नं0 2017/00032)

उनवान प्रकरण

1–मुस0 प्रेमा बेवा नत्थी
2–वरबूला
3–बंगाली । पुत्रगण नत्थी
4–मुन्ना
5–रंबूदी पुत्री नत्थी
6–शहजादी बेवा शब्बो
7–पहुआ । पुत्रगण
8–ददुआ । शब्बो
9–लक्खा पुत्र चम्पा

समस्त जातिगण नट

समस्त निवासीगण ग्राम भैसाख

तहसील व जिला धौलपुर

..... प्रार्थीगण

बनाम

1–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैसाख जिला धौलपुर
2–राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर .....अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0)

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से :– श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 10.08.2018

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 381 रकवा 02 वीधा 09 विस्वा बांके ग्राम भैसाख तहसील व जिला धौलपुर की मुस0 गंगो वेवा सखुआ जाति ब्राहम्ण साकिन धौलपुर खातेदार काश्तकार थी। मुस0

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

गंगो की मृत्यु बिना किसी विधिक उत्तराधिकारियों के छोडे हो गई है लाऔलाद सम्पत्ति मानकर अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 34/94 सरकार बनाम गंगो की जाकर धारा 6(9)(वी) राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय जिला न्यायाधीश धौलपुर में भेजी गई और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण संख्या 25/95 दिनांक 4.2.2002 को स्वीकार कर राजगामी सम्पत्ति घोषित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पुनः विचार करने हेतु निवेदन किया। आदेश दिनांक 4.2.2002 को स्वीकार कर पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर मु0न0 303/91 मु0 प्रेमा बगैरा बनाम लक्खा बगैरा दिनांक 31.7.92 को उक्त आराजी बावत दावा डिक्री हो चुका है और प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अतः राजगामी सम्पत्ति नहीं माना। दिनांक 14.12.2007 को अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर को कब्जा सम्पत्ति पर प्रार्थीगण को सौपे जाने का आदेश दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के डिक्री आदेश दिनांक 31.7.1992 की पालना में नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 7.1.1997 स्वीकार किया गया और राजस्व अभिलेख में खातेदार इन्द्रांज किया गया। न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश धौलपुर सरकार बनाम गंगो दिनांक 4.2.2002 के आदेश व अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 266 ग्राम भैसाख दिनांक 26.4.2002 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के स्थान पर सिवायचक लगानी राजस्थान सरकार के नाम अंकित किया गया। आराजी खसरा नम्बर 381 रकवा 2 वीधा 9 विस्वा सिवायचक लगानी भूमि का श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के आदेश दिनांक 28.12.2004 को राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय भैसाख को खेल मैदान हेतु आवटंन किया गया और राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 323 ग्राम भैसाख दिनांक 22.1.2005 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किया गया। प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार थे मौके पर काबिज थे। उक्त आराजी काबिल आवटंन नहीं थी। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर द्वारा आवटंन दिनांक 28.12.2004 को स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटन किया गया है वह विधि विरूद्व है। उक्त आदेश के खिलाफ अपील आवटंन को निरस्त किये जाने बावत अपील संख्या 13/2008 उनवानी प्रेमा बगैरा बनाम राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय भैसाख बगैरा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर दिनांक 8.8.2008 को अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अतः अप्रार्थीगण उक्त आदेश से पाबंद है। शब्बो पुत्र चम्पा का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी संख्या 6 लगा0 8 उसके उत्तराधिकारी है। न्यायालय श्रीमान के आदेश 19.3.2002 से आराजी खसरा नम्बर 381 रकवा 02 वीधा 09 विस्वा बाकेग्राम भैसाख से प्रार्थीगण का नाम निरस्त किया जाकर सिवायचक लगानी नामान्तकरण

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

संख्या 266 दिनांक 26.04.2002 को स्वीकार किया गया है व अप्रार्थी संख्या–1 के नाम नामान्तकरण संख्या 323 दिनांक 22.1.2005 को बतौर खातेदार निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का नाम खातेदार पुनः स्थापन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार इन्द्रांज करा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 381 रकबा 02 बीघा 09 विस्वा बाकेग्राम भैसाख पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के नाम मुस0 बेवा नत्थी, बरबूला, बंगाली, मुन्ना पुत्रगण नत्थी, रबूदी पुत्री नत्थी कौम नट 1/3 भाग, शहजादी बेवा शब्बो, पहुआ व ददुआ पिसरान शब्बो कौम नट 1/3 भाग, लक्खा पुत्र चम्पा कौम नट 1/3 भाग का बतौर खातेदार पुनः स्थापन किया जाकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये उन्हें प्रार्थना पत्र का जवाव प्रस्तुत करने हेतु 18 मौके दिये गये परन्तु उनकी ओर से कोई जवाव पेश नहीं हुआ। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

वहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित विन्दुओं को दोहराते हुये अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी की मु0 गंगो वेवा सखुआ जाति ब्राहम्ण साकिन धौलपुर खातेदार काश्तकार थी। मु0 गंगो की मृत्यु बिना किसी विधिक उत्तराधिकार के हो गयी। राजगामी सम्पत्ति मानकर प्रकरण संख्या 34/94 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा सरकार बनाम गंगो न्यायालय जिला न्यायाधीश धौलपुर को धारा 6(9)(वी) में भेजी गई। प्रकरण संख्या 25/95 दिनांक 4.2.2002 को स्वीकार कर राजगामी सम्पत्ति घोषित किए जाने का आदेश दिया। मु0 गंगो ने उक्त आराजी को हमेशा हमेश के लिए चम्पा नट काश्त पर दे दिया। चम्पा नट ने काश्त किया और चम्पा की मृत्यु के वाद उसके वारिसान ने काश्त की। चम्पा के वारिसान ने न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर में मुकद्दमा नम्बर 303/91 उनवानी मु0 प्रेमा बनाम लक्खा वगैरा दावा इश्तकरार हक, हुक्म दरामी व इन्द्रांज दुरूस्ती पेश किया दिनांक 31.7.1992 को दावा डिक्री किया गया जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 7.1.1993 को स्वीकार किया गया जिसकी पालना में मु0 प्रेमा वगैरा का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज बतौर खातेदार किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील किसी भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश धौलपुर प्रकरण संख्या 25/95 सरकार बनाम गंगो दिनांक 4.2.2002 लावारसी घोषणा की पालना में नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 26.4.2002 तहसीलदार धौलपुर द्वारा मु0प्रेमा वगैरा के बजाय सिवायचक बिना लगानी स्वीकार किया गया। यह

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

कि प्रकरण संख्या 25/95 सरकार बनाम गंगो धारा 6 राजगामी सम्पत्ति अधिनियम की आपत्ति पुनः विचार करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश में पेश किया और न्यायालय जिला न्यायाधीश धौलपुर द्वारा यह मत व्यक्त किया कि कृषि भूमि पर लावारिस की कार्यवाही लागू नहीं होती है क्योकि खातेदारी अधिकार केवल काश्तकारी अधिकार होते है मालिकाना हक नहीं होते है। अतः लावारिस के प्रावधान लागू नहीं होते है और यह माना कि सक्षम न्यायालय की डिक्री से मु0 प्रेमा वगैरा को खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। दिनांक 14.12.2007 को निर्णय पारित करते हुये लावारिस की कार्यवाही को निरस्त किया गया। श्रीमान न्यायालय जिला न्यायाधीश धौलपुर के पूर्व आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 266 से सिवायचक लगानी दर्ज करदी गयी इसी दौरान श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा सिवायचक भूमि होने से उक्त विवादित आराजी का आवंटन रा0उ0प्रा0विधालय भैसाख को खेल मैदान हेतु आवंटन करदी और उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 323 दिनांक 22.1.2005 को स्वीकार किया गया और राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किया गया। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 28.12.2004 रा0उ0प्रा0विधालय भैसाख के खिलाफ अपील संख्या 13/2008 उनवानी मु0 प्रेमा वगैरा बनाम रा0उ0प्रा0विधालय पेश की। दिनांक 8.8.2008 को अपील स्वीकार की जाकर आवंटन निरस्त किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का कोई खण्डन नहीं किया और न ही उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जो प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को खण्डित करता हो।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। मुस0 गंगो वेवा सखुआ जाति ब्राहम्ण साकिन धौलपुर खातेदार काश्तकार थी। मुस0 गंगो की मृत्यु बिना किसी विधिक उत्तराधिकारियों के छोडे हो गई है लाऔलाद सम्पत्ति मानकर अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 34/94 सरकार बनाम गंगो की जाकर धारा 6(9)(वी) राजस्थान राजगामी सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय जिला न्यायाधीश धौलपुर में भेजी गई और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण संख्या 25/95 दिनांक 4.2.2002 को स्वीकार कर राजगामी सम्पत्ति घोषित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पुनः विचार करने हेतु निवेदन किया। आदेश दिनांक 4.2.2002 को स्वीकार कर पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर मु0न0 303/91 मु0 प्रेमा बगैरा बनाम लक्खा बगैरा दिनांक 31.7.92 को उक्त आराजी बावत दावा डिक्री हो चुका है और प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अतः राजगामी सम्पत्ति नहीं माना। न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर के डिक्री आदेश दिनांक 31.7.1992 की

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

पालना में नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 7.1.1997 स्वीकार किया गया और राजस्व अभिलेख में खातेदार इन्द्रांज किया गया। न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश धौलपुर सरकार बनाम गंगो दिनांक 4.2.2002 के आदेश व अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 266 ग्राम भैसाख दिनांक 26.4.2002 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के स्थान पर सिवायचक लगानी राजस्थान सरकार के नाम अंकित किया गया। आराजी खसरा नम्बर 381 रकवा 2 वीधा 9 विस्वा सिवायचक लगानी भूमि का श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के आदेश दिनांक 28.12.2004 को राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय भैसाख को खेल मैदान हेतु आवटंन किया गया और राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 323 ग्राम भैसाख दिनांक 22.1.2005 को तहसीलदार धौलपुर द्वारा स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किया गया। उक्त आदेश के खिलाफ अपील आवटंन को निरस्त किये जाने बावत अपील संख्या 13/2008 उनवानी प्रेमा वगैरा बनाम राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय भैसाख वगैरा न्यायालय भू–प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर दिनांक 8.8.2008 को अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जा चुका है। अतः अप्रार्थीगण उक्त आदेश से पावंद है। शब्बो पुत्र चम्पा का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी संख्या 6 लगा0 8 उसके उत्तराधिकारी है। इस प्रकार आवंटन आदेश न्यायालय भू–प्रवन्ध अधिकारी भरतपुर से निरस्त हो चुका है तथा लावारिस की कार्यवाही न्यायालय जिला न्यायाधीश धौलपुर से निरस्त हो चुकी है। अतः प्रार्थीगण का नाम खातेदार पुनः स्थापन किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र का कोई जवाव पेश नहीं किया है न किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने का कोई आदेश पेश किया है न ही किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश पेश किया है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम वतौर खातेदार इन्द्रांज करा पाने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 381 रकवा 02 वीधा 09 विस्वा वाकेग्राम भैसाख पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के नाम मुस0 वेवा नत्थी, वरवूला, वंगाली, मुन्ना पुत्रगण नत्थी, रवूदी पुत्री नत्थी कौम नट 1/3 भाग, शहजादी वेवा शब्बो, पहुआ व ददुआ पिसरान शब्बो कौम नट 1/3 भाग, लक्खा पुत्र चम्पा कौम नट 1/3 भाग का वतौर खातेदार पुनः स्थापन किया जाकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसकी नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner